मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

सूचना

भोपाल, दिनांक 2020

क्र. एफ-3-82/18/18-5 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतदद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2655-496/वि.यो./नग्रानि/2018 भोपाल दिनांक 16 मई 2018 जो राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 द्वारा प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, इदौर जिला इंदौर मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम इंदौर मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर मध्यप्रदेश

अनुसूची

1. कण्डिका 6.3 के सरल कमांक 25 के पश्चात निम्नानुसार कंडिका 26 और जोड़ी जाती है :–

   26. ''विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों मे स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को, उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय, अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।''

2. कण्डिका 6.7.2 की सारणी 6.02 की टीप के पश्चात् निम्नानुसार टीप अंतःस्थापित की जाती है :–

   ''भवन की ऊचाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।''

3. विकास योजना की कण्डिका 6.13.1 की सारणी 6.12 के पश्चात निम्नानुसार टीप जोडी जाती है :–

   टीप :– ''उपरोक्त कॉलम (4) में वर्णित विभिन्न सेवा–सुविधा के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशित है। भूखण्ड का आकार, प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा। सारणी तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी।''

Scanned with CamScanner

4. कण्डिका 6.13.1 की सारणी 6.13 के सरल क्रमांक 2 में उल्लेखित

वर्तमान प्रावधान

क.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए.आर	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी.में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र	अन्य तीन ओर खुला क्षेत्र (मी.में)
1	2	3	4	5	6	7
2	स्वास्थ्य हास्पिटल–100 बिस्तर +	30 प्रतिशत	1:1.25	24.00	15.00	6.00

को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए.आर	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी.में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र	अन्य तीन ओर खुला क्षेत्र (मी.में)
1	2	3	4	5	6	7
2	स्वास्थ्य हास्पिटल–100 बिस्तर +	30 प्रतिशत	1:1.25	30.00	15.00	6.00

5. कण्डिका 6.16.8(i) पार्किंग मानक हेतु उल्लेखित प्रावधान के पश्चात कण्डिका 6.18.8(i)a निम्नानुसार और जोडा जाता है :–
"स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु पार्किंग मानक दो बिस्तर पर 1 कार पार्किंग (ECS) अथवा 150 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र पर 1 कार पार्किंग (ECS), जिसमें कार पार्किंग की आवश्यकता अधिक हो।" उक्त के संबंध में विकास योजना में उल्लेखित अन्य पार्किंग संबंधी प्रावधान मान्य नही होंगे।

6. कण्डिका 6.20.1 सारणी 6.22 के सरल कमांक 23, 48, 62 एवं 92 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

S. No		Residential	General Commercial	Mandi Whole Sale Specialized Commercial	Industrial	Recreation	Agricultural	Transportation	PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Conference Hall	P	P	P	NP	NP	NP	NP	P
48	IT Industry	P	P	P	P	NP	P	NP	P
62	Hospital 100 +	P	P	P	C	NP	NP	NP	P
92	Velodrome/ Stadium	NP	NP	NP	NP	C	P	NP	P

Scanned with CamScanner

7. कण्डिका 6.20.1 सारणी 6.22 के नोट 4 की निरन्तरता में निम्नानुसार और जोड़ा जाता है :–

I. सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि, म.प्र.शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के नीति पत्र में वर्णित प्रावधान अनुसार ।
II. कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार कृषि उपयोग में मान्य होगी।
III. सूचना प्रौद्योगिकी के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.शुभाशीष बैनर्जी)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with CamScanner